न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 14/2019

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 पतासी देवी पुत्री मालाराम पत्नी झाबरमल जाति मेघवाल निवासी नुआं हाल निवासी भूरासर का बास तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 महाकोरी पुत्री मालाराम पत्नी बनवारीलाल निवासी नुआं तहसील व जिला झुंझुनू।
2 नेमीचन्द पुत्र गुगनराम।
3 महेन्द्र पुत्र गुगनराम माता अणचली जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
4 बिरजुराम पुत्र औंकारमल माता अणचली जाति मेघवाल निवासी आबुसर तहसील व जिला झुंझुनू।
5 मातुराम पुत्र लिछमणराम
6 बीरबल पुत्र लिछमणराम माता मुगली जाति मेघवाल निवासी कुलोद कलां तहसील व जिला झुंझुनू।
7 राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील बखिलाफ आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू दिनांक 01.01.2019 बउनवानी मुकदमा पतासी बनाम महाकोरी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 सीपीसी आवेदन पत्र संख्या 134/2018

उपस्थित

1. श्री रणजीत सिंह अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः—24.01.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा आवेदन पत्र संख्या 134/2018 में पारित निर्णय दिनांक 01.01.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने विचारण न्यायालय द्वारा दावा संख्या 38/2018 उनवानी महाकोरी बनाम महेन्द्र सिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2018 के विरूद्व आदेश 09 नियम 13 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने उक्त आवेदन 01.01.2019 को प्राप्त होने के दिन ही बिना कोई प्रकिया अपनाये खारिज कर दिया। जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन आदेश 9 नियम 13 सीपीसी एवं दिनांक 01.01.2019 को पारित विचाराधीन निर्णय का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय में अपीलांट ने दावा संख्या 38/2018 उनवानी महाकोरी बनाम महेन्द्र सिंह में अपीलांट की तामिल के विरूद्व आवेदन आदेश 09 नियम 13 सीपीसी प्रस्तुत किया था विधिक प्रावधानों के अनुसार विचारण न्यायालय को अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर बाद सुनवाई वाद में अपीलांट की तामीली रिपोर्ट का गुणावगुण पर विवेचन कर निर्णय पारित करना चाहिए था। परन्तु विचारण न्यायालय ने बिना कोई विधिक प्रकिया का अनुसरण किये ही विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया है। जो प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील दर्ज करने के साथ ही इसी स्तर पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के आवेदन आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करें, प्रार्थी व अप्रार्थीगण की साक्ष्य सुनवाई कर तामिल नोटिसों पर गुणावगुण पर विवेचन कर प्रकरण में पुन निर्णय पारित करे। अपीलांट दिनांक 07.02.2019 को विचारण न्यायालय में उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कस्तूर सिंह पूनियां)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर